न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –14/2018 (आव.व.अधि)

सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक , कार्यालय जिला रसद अधिकारी
कोटा। –प्रार्थी

बनाम

मैसर्स गिरिराज जी भोजनालय, अम्बेडकर नगर, कोटा श्री कालीचरण मण्डल पुत्र श्री बसंत कुमार मंडल निवासी अम्बेडकर नगर कोटा ।
–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक– 05.11.2019

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि अरविन्द आचार्य, प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, कोटा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक/एफ 17(2) खा.वि./न्याय/2000 जयपुर दिनांक 9.2.2018 की अनुपालना बाबत दल में सम्मिलित सदस्य श्रीमति संध्या सिन्हा प्रवर्तन अधिकारी, श्री अरविन्द आचार्य, प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री अमित शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षण जांच हेतु मैसर्स गिरिराज जी भोजनालय, अम्बेडकर नगर कोटा के यहां पहुंचे । मौके पर मालिक श्री कालीचरण मण्डल पुत्र श्री बसंत कुमार मण्डल निवासी अम्बेडकर नगर कोटा उपस्थित मिले, जहां पर घरेलू गैस सिलेण्डर्स के अवैध संग्रहण की जांच की गई । वक्त जांच इस प्रकार स्थिति पाई गई कि मैसर्स गिरिराज जी भोजनालय अम्बेडकर नगर पर कालीचरण मण्डल पुत्र श्री बसंत कुमार मण्डल निवासी अम्बेडकर नगर कोटा द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण किया जाना पाया गया । मौके पर पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डर्स का उपयोग भोजन बनाकर कीमतन बिकी में किया जा रहा था ।
2. इस प्रकार मौके पर पाये गये निम्नांकित विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध संग्रहण करने के कारण द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) आदि धाराओं का उल्लंघन पाये जाने से मौके से जप्त किया जाकर मौके पर ही उपस्थित श्री विरेन्द्र प्रताप पुत्र श्री भगवान निवासी 76, शक्ति नगर कोटा दिनेश गैस एजेन्सी, विज्ञान नगर कोटा को सुपुर्दगी में शर्तो के अनुसार दिया गया । सिलेण्डर्स का विवरण निम्नानुसार है–

क.सं.	तेल कम्पनी का नाम	गैस सिलेण्डर्स के एस.आर.नम्बर	टेयर वेट (किलोग्राम)	ग्रॉस वेट (किलोग्राम)	नेट वेट (किलोग्राम)
1	IOCL	12730	16.2 kg	30.8 kg	14.6 kg
2	IOCL	84485 J	15.6 kg	18.1 kg	2.5 kg
3	IOCL	96059	15.9 kg	16.8 kg	0.9 kg
4	HPCL	8987695	15.9 kg	23.8 kg	7.9 kg

Scanned by CamScanner

इस प्रकार उक्त श्री कालीचरण मंडल पुत्र श्री बसंत कुमार मंडल अम्बेडकर नगर कोटा द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण कर द्रवित पेट्रोलियम (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3(1)(ए),(बी) का स्पष्ट उल्लंघन किया है ।

अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत अधिग्रहित 04 (चार) घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर, को राजसात करने के आदेश फरमावें तथा धारा 6–ए(2) के तहत सिलेण्डरों का अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें ।

3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । नोटिस अदम तामिल प्राप्त हुआ, नोटिस पर थानाधिकारी कुन्हाडी से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि गिरीराज भोजनालय अम्बेडकर कॉलोनी कुन्हाडी क्षेत्र में नहीं होना बताया, काफी तलाश किया कोई पता नहीं चला । चूंकि प्रार्थना पत्र में दिये पते पर अप्रार्थी के नहीं मिलने से नोटिस अदम तामिल प्राप्त होने से प्रकरण में रसद विभाग के प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 27.2.2019 को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक/एफ 17(2) खा.वि./न्याय/2000 जयपुर दिनांक 9.2.2018 की अनुपालना गठित जांच दल में सम्मिलित सदस्य श्रीमति संध्या सिन्हा प्रवर्तन अधिकारी, श्री अरविन्द आचार्य, प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री अमित शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षण जांच हेतु मैसर्स गिरिराज जी भोजनालय, अम्बेडकर नगर कोटा के यहां पहुंचे । मौके पर जहां घरेलू गैस सिलेण्डर्स के अवैध्र संग्रहण की जांच की गई । वक्त जांच इस प्रकार स्थिति पाई गई कि मैसर्स गिरिराज जी भोजनालय अम्बेडकर नगर पर कालीचरण मण्डल पुत्र श्री बसंत कुमार मण्डल निवासी अम्बेडकर नगर कोटा द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण किया जाना पाया गया । मौके पर पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डर्स का उपयोग भोजन बनाकर कीमतन बिकी में किया जा रहा था । इस प्रकार मौके पर पाये गये निम्नांकित विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध संग्रहण करने के कारण द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) आदि धाराओं का उल्लंघन है ।

5. अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत सीज्ड माल 04 (चार) घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात (Confiscation) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तामील तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

6. निर्णय आज दिनांक 05.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner